संख्या-39/2025/001-3373571/12-2099/223/2023 Part-1

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-81 की लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन एण्डं टेक्नोलाजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के अन्तर्गत (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0-13-101/120/एस.एम.ए.एम.-टी0एस0पी0/लेखा/2025-26, दिनॉक 23 अप्रैल, 2025 के क्रम में एस0एन0ए0-स्पर्श के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-81 की लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के अन्तर्गत 27-सब्सिडी में उपलब्ध प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में (केन्द्रांश+राज्यांश) धनराशि रूपये 75.00 लाख (रूपए पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
3. स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका रहेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
5. इस सम्बन्ध में उक्त योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.04.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
6. स्वीकृत धनराशि के आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी, 2025 एवं 30 जनवरी, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही आपके द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

13. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 2401007960117 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नॉलाजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-1-32-X-2025-26, दिनांक 08 मई, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-39/2025/001-3373571(1)/12-2099/223/2023 Part-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।